

वि. सं. शी. नं. (50)

उत्तर प्रदेश सरकार
आवास अनुभाग- 3

संख्या- 129/37-3-90-37 एन.के.बी. 90 लखनऊ 14 मई 1990

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण बंध अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 1 सन् 1904) को धारा- 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश (निर्मात कर्त विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-34 सन् 1958) को धारा-63 को उपधारा-(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारों अधिसूचना संख्या- 4674/37-3-37 एन.के.बी. 79 दिनांक 22 जनवरी 1982 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना में सार्वजनिक विनियमित क्षेत्र शी. नं. (मद. बाल) के अधीन आये हुये म. (2) में क्रम संख्या- 20 पर दिये गये ग्राम के पश्चात निम्न-लिखित ग्राम बड़ा दिये जायेंगे अर्थात् :-

- 21- कौठड़
- 22- कौटचुला
- 23- सुनारगाँव

आज्ञा से

सम्पू. नं. 8
सचिव